न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 104/2019 — तारीख रजू:— 17.07.2019

जीसीएमएस नं0 2019/00185

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

गजानन्द पुत्र बंशी जाति धाकड निवासी झारेडा रोड हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादी

बनाम

1. चन्द्रभान	पिसरान मूलचन्द	जाति धाकड निवासी रणजीतपुरा
2. गोविन्द		
3. इन्द्रभान		
4. मोतीराम		सदर थाने के पास हिण्डौन
5. बच्चूसिंह		
6. बबलू पुत्र चन्द्रभान		
7. धर्मेन्द्र उर्फ कलुआ पुत्र गोविन्द		
8. बीरेन्द्र पुत्र गोविन्द (मृतक)		
9. रवेन्द्र पुत्र इन्द्रभान		तहसील हिण्डौन जिला करौली
10. वीरो पत्नि चन्द्रभान		
11. मीनादेवी पत्नि गोविन्द		
12. पुष्पादेवी पत्नि इन्द्रभान		
13. द्रोपती पत्नि भरतलाल		
14. आशा पत्नि बच्चूसिंह		
15. मीरा पत्नि मोतीराम		
16. भरतलाल पुत्र मूलचन्द		राजस्थान ————प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :—09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी ख0नं0 6060 रकबा 7 ऐयर स्थित कस्बा हिण्डौन वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें 1 ऐयर भूमि में कुआ बना हुआ है। व शेष भूमि मौके पर काश्त के उपयोग में आ रही है।

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं0 1 वाद पत्र से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। मगर प्रतिवादीगण येनकेन प्रकारेण उक्त भूमि को हउपने की फिराक में रहते है।

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि वादी अकेला व विकलांग व्यक्ति है। तथा प्रतिवादीगण संख्या में बाहुबल व उदण्ड किस्म के व्यक्ति है। जो वादी की उक्त स्थिति का नाजायत काफयदा उठाकर उसकी खातेदारी की भूमि आराजी मुतजिका मद नं0 1 वाद पत्र पर जबरन कब्जा करने की फिराक में रहते है।

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 19.06. 2019 को समय करीब सायं 05 बजे का है, सभी प्रतिवादीगण मजमेआम खिलाफ कानून वादी की खातेदारी की भूमि में घुस आये और उक्त खसरा नम्बर में वादी के पत्थरों की कटिंग पडी हुई थी को ट्रोली में कर जबरन ले जाने लगे। जिन्हें राकेने पर और वादी द्वारा यह कहने पर कि उक्त भूमि मेरी खातेदारी की है। और इसमें पडे हुए पत्थरों के टुकडों को क्यों ले जा रहे हो। तो प्रतिवादीगण ने कहा कि इस जमीन पर तो हम कब्जा करेंगे। और तुमने हमे रोका तो तुम्हे जान से खत्म करके जमीन पर कब्जा कर लेगें। और मानने को तैयार नही है। इसलिए दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि बिनाय दिनांक 19.06. 2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को मुतजिका मद नं0 4 वाद पत्र में वर्णित

धमकी व मुकाम हिण्डौन देने से अनदर हदूद आराजी अदालत वाला पैदा हुई है। दावा हाजा अंदन मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि दावा हाजा राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट की धारा 188 के तहत बिल मुक्ता न्याय शुक्ल 2/– रू0 पर पर पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि सकूतन फरीकेन व आराजी मुतदाविया तथा पैदा होने के बिनाय दावा श्रीमान को उक्त दावा को सुनने व फेसल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 8 क में दर्ज किया है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेद्याज्ञा बहक वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को इस अम्र की स्थायी निषेद्याज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह स्वयं या किसी अन्य के द्वारा वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 6060 रकबा 7 ऐयर कस्बा हिण्डौन के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करे और उक्त भूमि से वादी को जबरन बेदखल नहीं करे। और उक्त भूमि में वादी के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान किसी प्रकार का पैदा नहीं करें। और ऐसा कोई कार्य नहीं करें। जिससे उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में वादी को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे।

वाद पत्र के मद नं. 8 ख में दर्ज किया है कि अन्य दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुफीद वादी साबित हो वह भी अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.09.2019 को प्रतिवादीगण की ओर से श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 08.04.2022 को जबावदावा पेश कर जबाव दावा के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि मद नं0 1 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 6060 में कुआ, एक ऐयर में कुआ बनाना शेष भूमि में काश्त नहीं हो रही है। प्रतिवादीगण उसमें तीन गेह एक पल्ला व 4 गेह दुपल्ला व छपपर डला हुआ

है। जिन पाटोरों में प्रतिवादीगण का चारा अनाज व जानवर बंधत है तथा एक पाटोर में भैरो बाबा का मंदिर है जो भैरो बाबा प्रतिवादीगण का है जिसको वादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण के कब्जे को वादीगण बखूबी जानते है। उसको पूर्णतया पता था उस समय वादी ने कोई ऐतराज नहीं किया। इन पाटोरों में प्रतिवादीगण के जानवर 50 साल से बांधत है तथा 50 साल से अनाज व चारा भरते हैं। खसरा नम्बर 6060 में जो कुआ बना हुआ है, वादी ने खसरा नम्बर 6059 में जो मेरिज होम बनाया था उसका गंदा पानी जाता है, उसको मना करते हैं उस पर यह झूठा दावा किया है, कब्जा लेने उसने आज तक कोई भी कानूनन प्रमयस नहीं किया है, तथा ख0नं0 6060 की गलत खातेदारी कराली है, कब्जे के अभाव में खातेदारी हुयी है, जो स्वीकार नहीं है।

जबाव दावा के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 2 गलत है स्वीकार नहीं है।

जबाव दावा के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 3 जिस तरह से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। जबरन कब्जा लेने का सवाल नहीं है बल्कि शांति पूर्वक ख0नं0 6060 पर प्रतिवादीगण को साठों साल पुराना कब्जा है।

जबाव दावा के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 4 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण पत्थरों को जबरन भरकर नहीं ले गये है झूठा आरोप लगाया गया है। प्रतिवादीगण साठों साल पुराना कब्जा है। वादी ने अपने कब्जे पर 15 फिट उंची दीवार कर रखी है।

जबाव दावा के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 5 गलत है स्वीकार नहीं है। वादी को वखिलाफ प्रतिवादीगण कोई भी बिनाय दावा पैंदा नहीं होता है।

जबाव दावा के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि मद नं0 6 कानूनी है जबाव की आवश्यकता नहीं है।

जबाव दावा के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नमब्र 7 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है।

जबाव दावा के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि मद नं0 8 गलत है वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण कोई रिलीफ के हकदार नहीं है।

दादरसीः—यह कि खसरा नम्बर 6059 में बिना इजाजत के बिना कन्वर्जन कराये बिना पटटा लिये वादीगण ने मैरिज होम बना लिया है, जिसका गंदा पानी ख0नं0 6060 में जो कुआ है में जाता है, जो कुआ प्रतिवादीगण का बना हुआ है उसका झगडा है। ख0नं0 6060 में बहुत पुराना कब्जा 60 साल पुराना प्रतिवादीगण का है। जिसमें पाटौर डली हुयी है, भैरो बाबा का स्थान बना हुआ है, पाटौरों में चारा व अनाज प्रतिवादीगण का भरा हुआ है। मौका दिखावा लिया जावे। अलग अलग दीवार खडी हुयी है।

अतः जबाव पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र वादी खारिज किया जावे और मेरिज होम के गन्दा पानी को कुये में जाने से रोका जावे।

दिनांक 09.04.2026 को प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता बार बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 पेश की है।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। जिस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं. 2071—74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 6060 रकबा 0.07 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी गजानन्द पुत्र बंशी हिस्सा पूर्ण जाति धाकड निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 6060 रकबा 0.07 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का

वादी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की होना प्रतीत नहीं होता है। बल्कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञाा से पाबन्द नहीं किये जाने पर वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 6060 रकबा 0.07 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जेकाश्त में कोई मजाहमत, मदाखलत नहीं करें तथा वादी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करें और ना ही किसी अन्य से करावें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे वादी को उक्त आराजीयात में उनके हक हकूकों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे। वादीगण को उक्त भूमि को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली